भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3344

उत्तर देने की तारीख-16/12/2024

अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं की विद्यालय नामांकन दर

†3344. **श्री दिनेशभाई मकवाणा:**

श्रीमती कमलजीत सहरावत:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्राथमिक स्तर की शिक्षा में विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं की वर्तमान विद्यालय नामांकन दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन विद्यार्थियों की नामांकन दर में वृद्धि करने में कोई प्रगति हुई है; और

(ग) इन विद्यार्थियों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए स्कूली शिक्षा के संकेतकों संबंधी डेटा को रिकॉर्ड करने हेतु शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) तैयार की है। यूडाइज़+ के अनुसार, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए दिल्ली और सम्पूर्ण भारत में प्राथमिक स्तरीय शिक्षा में लड़कियों का सामाजिक श्रेणीवार सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) निम्नानुसार है:

सामाजिक श्रेणी	2021-22		2020-21	
	अखिल भारत	दिल्ली	अखिल भारत	दिल्ली
सभी वर्ग	104.8	120.1	104.5	119.5
अनुसूचित जाति (एससी)	114.9	63.3	115.3	62.0
अनुसूचित जनजाति (एसटी)	106.7	-*	106.6	-*

*जनगणना 2011 के अनुसार, दिल्ली में कोई अनुसूचित जनजाति आबादी नहीं है। नतीजतन, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए कोई अनुमानित जनसंख्या नहीं है। इसलिए, जीईआर रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) और (ग): स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल), शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करके पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए समग्र शिक्षा योजना को कार्यान्वित कर रहा है। स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर और सामाजिक अंतर को कम करना समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। समग्र शिक्षा के तहत लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। इनमें राज्य द्वारा निर्धारित पड़ोस में स्कूल खोलना, कक्षा आठ तक की लड़कियों को नि:शुल्क वर्दी और पाठ्य पुस्तकें, सभी स्कूलों में जेंडर आधारित अलग-अलग शौचालयों का प्रावधान, कक्षा छह से बारह तक की लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रावधान, कक्षा एक से कक्षा बारह तक की सीडबल्यूएसएन लड़कियों को वजीफा, अन्य बातों के अलावा, समानता के लिए विशेष राज्य-विशिष्ट परियोजनाएं जैसे जीवन कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, भस्मक, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन आदि, तथा माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायपरक बनाना शामिल हैं।

इसके अलावा, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए, समग्र शिक्षा के तहत, शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। केजीबीवी वंचित समूहों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं।

******